



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय, स्थापना अनुभाग)

क्रमांक: एफ.2 / वमखुविवि / स्था. / 023 / 221

दिनांक: -25-5-2023

कार्यालय आदेश

श्री पवन एन चंद्र (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) 145, गुमानपुरा मेन रोड कोटा (राजस्थान) - 324007 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 6 (iii) के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में लोकपाल के पद पर मानद नियुक्ति प्रदान की जाती है। श्री पवन एन चंद्र (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की लोकपाल के पद पर मानद नियुक्ति (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 6 (v) के अनुसार लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल के कार्यकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री पवन एन चंद्र, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 145, गुमानपुरा मेन रोड कोटा (राजस्थान) - 324007
2. सचिव, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
3. नियन्त्रक(वित्त), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. नोडल अधिकारी, छात्र शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ, वमखुविवि, कोटा।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, वमखुविवि, कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव
स्थापना